राजस्व वाद संख्या 171/2015

1. सीताराम
2. हरिराम पुत्रगण भगवानाराम जाति जाट निवासी कोलसिया तहसील नवलगढ

—वादीगण

बनाम

1. मृतक झाबरराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी कोलसिया
1/1 शीशराम पुत्र झाबरराम
1/2 तारामणी पुत्री झाबरराम स्त्री सुभाषचन्द्र जाति निवासी कोलसिया
1/3 सुभिता पुत्री झाबरराम स्त्री प्यारेलाल जाति जाट निवासी औंलखा की ढाणी तन इन्द्रपुरा तह0 उदयपुरवाटी
2. अर्जुनराम
3. आशाराम पुत्रगण भगवानाराम जाति जाट निवासी कोलसिया
4. उप पंजीयक नवलगढ जिला झुन्झुनू
5. तहसीलदार (भू.अ.)नवलगढ जिला झुन्झुनू

—प्रतिवादीगण

वाद :— घोषणाथ एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वकील वादी:— श्री प्रदीप कुमार झाझडिया
वकील प्रति0:— श्री विप्पल पंडित

निर्णय

निर्णय दिनांक 05.09.2019

वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि राजस्व ग्राम कोलसिया तहसील नवलगढ में हाल ख.न. 165/0.03, 166/2.93, 1580/844/0.06 किता 3 कुल रकबा 3.02 है0 स्थित है। ग्राम कोलसिया के दुसरे खाते में जमीन हाल ख.न. 307 रकबा 1.12 है0 स्थित है। जमीन ख.न. 784 रकबा 0.69 है0 जमीन भी सरहद राजस्व ग्राम कोलसिया तहसील नवलगढ में स्थित है। उपरोक्त जमीन के पहले वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 लगायत 3 का पिता भगवानाराम था। उक्त भगवानाराम का सन 1975 में देहान्त हो चुका है। भगवानाराम के पांच पुत्र वादीगण व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 3 हैं उक्त भगवानाराम के देहान्त होने के बाद जमीन वर्णित धारा 1 लगायत 3 को प्राप्त हुई। मौजूदा वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित जमीन का कोई विवाद नही है। धारा1 वाद पत्र का वर्णन सिर्फ धारा 3 वाद पत्र के न्याय निर्णय के लिये किया गया है। वाद पत्र की धारा 3 वाद पत्र का ही विवाद है जिसे दावा में आगे विवादित जमीन के नाम से संबोधित किया गया है। जमीन हाल ख.न. 307 रकबा 1.12 है0 सरहद राजस्व ग्राम कोलसिया में स्थित है। प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 ने जमीन हाला ख.न. 307 रकबा 1.12 है0 को 70000/रूपये के प्रतिफल के बदले दिनांक 22.01.2001 को उसके खातेदार मोहनराम से जरिये पंजिबद्ध विक्रय पत्र के माध्यम से संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर क्रय की थी। प्रतिवादीगण नं. 1 से 3 ने जमीन वर्णित धारा 2 वाद पत्र जब उक्त मोहनराम से 70हजार रूपये में क्रय की वह रूपये प्रतिवादीगण नं. 1 से 3 ने दूसरे व्यक्ति से उधार लिये थे इस कारण प्रतिवादी नं. 1 से 3 के कर्ज हो गया था। प्रतिवादीगण नं. 1 से 3 के जमीन वर्णित धारा 2 वाद पत्र क्रय करने के कारण कर्ज हो गया इस कारण प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 3 ने वादीगण के साथ महा अगस्त 2002 में ग्राम कोलसिया मं आपस में मिटिंग की उसमें यह तय हुआ कि जमीन हाल ख.न. 1293 रकबा 1.25 है0 सम्पूर्ण को किसी दूसरे व्यक्ति को विक्रय किया जावे जिसमें वादीगण नं. 1 व 2 प्रत्येक को 1/5 हक हिस्सा क जो जमीन विक्रय होगी उसके बदले में प्रतिवादीगण नं. 1 से 3 प्रत्येक जमीन हाला ख.न. 784 रकबा 0.69 है0 में अपने 1/5 हक हिस्सा की कजमीन बदले में वदीगण को संयुक्त रूप से देगे।

दिनांक 11.10.2002 को वादीगण के हक में प्रतिवादीगण नं. 1 से 3 ने एक इकरारनामा इस आशय का लिखकर निष्पादित किया कि हम इकरार करते हैं कि हमारे पांच भाईयों में हम तीन भाई हमारी साझे की जमीन ख.न. 1293/1.25 है0 को हमने हमारे तीनो के हिस्से करके तेजाराम दूत पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

देवाराम कोलसिया को बेच दी है जो गांव के पश्चिम दिशा में है जिसका ख.न. 784 रकबा 0.69 है0 का मालिकाना हक सीताराम व हरीराम का रहेगा हमारा कोई अधिकार नही रहेगा। यह लिखावट होस हवास में की है। जमीन ख.न. 784 रकबा 0.69 है0 में प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 3 का भी नाम दर्ज है। प्रतिवादी नं. 1 लगायत 3 के मन में बेईमानी पैदा हो गई इसलिये जमीन वर्णित धारा 3 वाद पत्र में गलत रूप से दर्ज नाम की आड में प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 3 का जमीन वर्णित धारा 3 वाद पत्र में कोई हक हिस्सा नही है। प्रतिवादीगण नं. 1 से 3 ने जमीन हाल ख.न. 784 में अपने हक हिस्सा जमीन हाल ख.न. 1293 में वादीगण के हक हिस्सा के बदले दिनांकि 11.10.2002 से छोड दिया इस कारण दिनांकि 11.10.2002 से जमीन हाल ख.न. 784 रकबा 0.69 है0 के संयुक्त रूप से टीनेन्ट वादीगण्ए है तथा इसी मुताबिक काबिज काश्त है।

अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर जमीन हाल ख.न. 784 रकबा 0.69 है0 वाके ग्राम कोलसिया तहसील नवलगढ में वादीगण नं. 1 व 2 को संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 5 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि जमीहन हाल ख.न. 784 रकबा 0.69 है0 वाके ग्राम कोलसिया रहन बय या अन्य तरीके से हस्तान्तरित नही करे तथा वादीगण के कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग में कोई बाधा कारित नही करे। मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बिनाये रखें।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण नं. 4 व 5 बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण नं. 1/1 लगायत 1/3 ,2 व 3 की और से वकील श्री विप्पल पंडित का वकालतनामा पेश हुआ। प्रतिवादीगण नं. 3 की और से इकबालिया जबाबदावा पेश हुआ। प्रतिवादीगण नं. 1/1 से 1/3 व 2 की और से जबाबदावा पेश होने पर तनकीयात कायम की गई परन्तु इसी दौरान वादीगण व प्रतिवादी नं. 1/1 से 1/3, 2 व 3 के मध्य राजीनामा होने से राजीनामा पेश किया जाकर वर्णित किया गया कि

1. यह कि जमीन हाल ख.न. 784 रकबा 0.69 है0 सहरद ग्राम कोलसिया में स्थित है।
2. यह कि पक्षकारान ने लोक अदालत की पवित्र भावना से प्रेरित होकर राजीनामा कर लिया है। पक्षकारान उक्त प्रकरण को आगे नही चलाना चाहते इस कारण राजीनामा के मुताबिक दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित है। राजीनामा पक्षकारान ने स्वेच्छा से किया है।

अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि बाद तस्दीक राजीनामा जमीन हाल ख.न. 784 रकबा 0.69 है0 ग्राम कोलसिया के वदी नं. 1 सीताराम व वादी नं. 2 हरिराम को संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

राजीनामा पेश होने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी ग्राम कोलसिया संवत 2067–70 के अनुसार ख.न. 784 रकबा 0.69 है0 की खातेदारी झाबरराम आशाराम अर्जुनराम सीताराम हरिराम पि0 भगवानाराम जाति जाट हि.ब.सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। पक्षकारान के मध्य वादग्रस्त आराजी को वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करवाये जाने में सहमति जाहिर की गई है। अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम कोलसिया की भूमि ख.न. 784 रकबा 0.69 है0 का वादीगण नं. 1 व 2 को बराबर बराबर हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक घोषित खातेदारी का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 05.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner